रमेश चंद्र शर्मा

बनाम

पंजाब नेशनल बैंक

18 मई 2007

(एस.बी. सिन्हा.एवं मार्कण्डेय काटजू, जेजे)

सेवा कानून: पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977: विनियम 20(3) (iii)

बर्खास्तगी-अनुशासनात्मक कार्य वाही-अपराधी अधिकारी की सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रखना-अनुशासनात्मकता लापरवाही से काम करने और अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन नहीं करने के लिए दोषी बैंक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दोषी अधिकारी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हो गया- आरोप थे सिद्ध-अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सिद्ध आरोपों के लिए दोषी अधिकारी को दोषी ठहराते हुए, उस पर बैंक की सेवा से बर्खास्तगी का बड़ा जुर्माना लगाया - अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी - उच्च न्यायालय ने सभी को रोकने के आदेश के साथ बर्खास्तगी के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया सेवानिवृत्ति लाभ-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि बैंक को हुए

नुकसान की कोई वसूली अपराधी अधिकारी से नहीं की जानी थी-धारित की शुद्धता: बैंक के लिए विनियमन 20 के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखना स्वीकार्य था। (3) (iii)अपराधी अधिकारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी - आमतौर पर उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि सजा कानून में अस्वीकार्य या कदाचार के लिए पूरी तरह से असंगत न हो - इसलिए, उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, एस. 19(2)-पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1995, रेग, 22, 43 और द्वारा लगाए गए दंड को प्रतिस्थापित करने में गलती की। 48-पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम। 1979.

अपीलकर्ता प्रतिवादी-बैंक की एक शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। अन्य बातों के अलावा, लापरवाही से काम करने और कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध हो गये।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को सिद्ध आरोपों के लिए दोषी ठहराते हुए, पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के खंड 4 के संदर्भ में उस पर बैंक की सेवा से

बर्खास्तगी का बड़ा जुर्माना लगाने का फैसला किया। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई थी।

व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि अपीलकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई थी, अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखना खराब था।

उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को अपने आदेश से प्रतिस्थापित कर दिया। सभी सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि बैंक को हुए नुकसान की भरपाई अपीलकर्ता से नहीं की जानी थी। इसलिए अपील.

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठे:

1. क्या बैंक के कर्मचारियों की सेवाओं के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, क्या इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है,अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखना स्वीकार्य था?

2. क्या उच्च न्यायालय, तथ्यों में और मामले की परिस्थितियो में लगाई गई सज़ा, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दी गयी थी, को प्रतिस्थापित कर सकता था

न्यायालय ने अपील खारिज कर दी

अभिनिर्धारित किया: 1.1. यह प्रश्न कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति होगी या नियोक्ता को केवल पेंशन नियमों का सहारा लेना होगा, कर्मचारी की सेवाओं के नियमों और शर्तों और द्वारा प्रदत्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी को किसी कानून या वैधानिक नियमों का कारण दी गई शक्ति पर निर्भर करेगा। (पैरा 12)(594-बी-सी)

अनुशासनात्मक प्राधिकारी-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक बनाम निकुंज बिहारी पटनायक, [1996].9 एससीसी 69, भारत संघ बनाम सूबेदार राम नारायण, [1998] 8 एससीसी 52, उत्तर प्रदेश राज्य। बनाम भ्रम दत्त शर्मा, एआईआर (1987) एससी 943 और यूपी राज्य। वी. हरिहर भोले नाथ, (2006) 11 स्केल 322, संदर्भित।

1.2. इसलिए, बैंक के लिए पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के विनियम 20(3)(iii) के आधार पर या उसके आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखना स्वीकार्य था। [पैरा 14]ईस्ट एंड डवेलिंग्स कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, [1951]

2 ऑल ईआर 587, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम सी.बी. ढल्ल, [1998] 2 एससीसी 544, स्टेट ऑफ यूपी। वी. हरिहर बोले नाथ, (2006)

11 स्केल 322, उत्तर प्रदेश राज्य। बनाम भ्रम दत्त शर्मा, एआईआर (1987) एससी 943, उत्तर प्रदेश राज्य। बनाम श्री कृष्ण पांडे, एआईआर (1996) एससी 1656, भगीरथी जेना बनाम निदेशक मंडल ओएसएफसी, [1999] 3 एससीसी 666 और यूपी राज्य। वी. आर. सी. मिश्रा, (2007) 4 स्केल 595, संदर्भित।

2. यह सच है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सजा देते समय अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता के अंतिम बकाया का निपटान किया जाना था। यह केवल उत्पन्न होने वाली आकस्मिकता को ध्यान में रखने के लिए एक अवलोकन था। इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्देश जारी नहीं किया गया था और इस प्रकार, अपीलकर्ता के पक्ष में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाया गया था। इसका तात्पर्य यह था कि कानून अपना काम करेगा। [पैरा 15] [596-जीआई

3.1. निर्विवाद रूप से, सेवा से बर्खास्तगी की सजा देने वाले आदेश के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता पेंशन लाभ के लिए योग्य नहीं होगा। पेंशन विनियमन का तात्पर्य वहां लागू होना है जहां पेंशन का भुगतान करना आवश्यक है। इसमें कर्मचारी के पेंशन लाभ से बैंक को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली का भी प्रावधान किया गया है। [पैरा 16] 597-बी-सी]

3.2. जहां पेंशन रोकने या वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाती है, वहां पेंशन विनियमन का विनियमन 43 लागू होगा। लेकिन उक्त विनियम

के प्रावधान, अगर पूरी तरह से पढ़े जाएं, तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक अधिकारी पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा, यदि अन्य बातों के अलावा, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। [पैरा 171 [598-ई]

3.3. पेंशन विनियमों का विनियम 48 बैंक को पेंशन लाभों से होने वाली आर्थिक हानि की वसूली करने का अधिकार देता है। पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के विनियम 20(3)(iii) को पेंशन विनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जहां कर्मचारी पेंशन विकल्पधारी हैं, वहां विनियम 48(1) लागू होगा। किसी भी स्थिति में, यदि किसी अधिकारी को (अनुशासन और अपील) विनियम के तहत सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो बैंक को पेंशन विनियम के विनियम 48 का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका एक विनियम 22 आकर्षित होगा। |पैरा 17] 598-एफ]

3.4. इसलिए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की। [पैरा 17] 598-जी|

4. इसके अलावा, अब यह एक घिसा-पिटा कानून है कि आमतौर पर उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा यह नहीं पाया गया है कि अपीलकर्ता को दी गई सज़ा कानून में अस्वीकार्य थी या

अपराधी अधिकारी द्वारा किए गए कदाचार के लिए पूरी तरह से असंगत थी।[पैरा 18 (598-एच; 599-ए)

यू.पी.एस.आर.टी.सी. वी. राम किशन अरोड़ा, (2007) 6 स्केल 72, पर भरोसा किया।

5. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपने सामने कानून का गलत प्रश्न उठाया

(अनुशासन और अपील) विनियम के विनियम 20(3)(iii) की प्रयोज्यता के बावजूद, बैंक ने अपीलकर्ता के सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने की तारीख के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। [पैरा 21] [600-ई]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम बेला बागची, एआईआर (2005) एससी 3272, संदर्भित।

एस.पी. बद्रीनाथ बनाम सरकार। ए.पी. का, [2003] 8 एससीसी 1, अनुपयुक्त माना गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 971/2007

सिविल विविध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3.1.2006 से। 1998 की रिट याचिका संख्या 44373।

प्रमित सक्सैना, यशपाल ढींगरा, के.एल. मेहता एंड कंपनी, ध्रुव मेहता, हर्ष वर्धन झा और यशपाल ढींगरा उपस्थित पक्षों की और से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, जे.आई. सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न इन दो अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए लिया गया था और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

2. इन मामलों से जुड़े सवाल पर आगे बढ़ने से पहले, हम मामले की सच्चाई पर गौर कर सकते हैं।

3. पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 अधिनियम) के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। जबकि रमेश चंद्र शर्मा (बाद में 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित) बैंक की लाटूश रोड, कानपुर शाखा में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

उन पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए:

"अनुच्छेद-।

उन्होंने बैंक के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए विभिन्न उधारकर्ताओं को ऋण सुविधा प्रदान करते समय लापरवाही के साथ-साथ जानबूझकर अनुचित इरादे से काम किया और इस तरह बैंक की बड़ी धनराशि को खतरे में डाल दिया।

अनुच्छेद-II

उन्होंने अनाधिकृत रूप से बाहरी लोगों को शामिल करके अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया, जिसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न उधारकर्ताओं को ऋण के वितरण को प्रभावित किया, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि ऋण की पूरी आय उधारकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुई है।

अनुच्छेद-III

उन्होंने उधार खातों में सीमा को जीवित रखना सुनिश्चित नहीं किया, जिससे बैंक के धन को ख़तरे में डाल दिया गया, साथ ही उनकी निहित वित्तीय शक्तियों से परे खर्च भी किया गया।"

आरोप संख्या I को 24 उप-प्रभारों में विभाजित किया गया था और आरोप संख्या III को दो उप-प्रभारों में विभाजित किया गया था। ये सभी आरोप साबित हुए. उसके संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

4. जांच अधिकारी ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपी। दिनांक 13.11.1997 के एक आदेश द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को साबित आरोपों के लिए दोषी ठहराते हुए उस पर बैंक की सेवा से बर्खास्तगी का एक बड़ा जुर्माना लगाने का फैसला किया, जो आमतौर पर खंड 4 (जे) के संदर्भ में भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य होगा। पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977। हालाकि, यह कहा गया था कि प्रतिवादी के टर्मिनल बकाया का निपटान किया जाएगा।

अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध की गई अपील को खारिज कर दिया गयादिनांक 21.10.1998 के एक आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकारी।

5. इससे व्यथित और असंतुष्ट अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

रिट याचिका में एक तर्क यह था कि अपीलकर्ता बी को 31.1.1997 को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई थी, अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखना कानून में गलत था। उच्च न्यायालय ने उक्त विवाद को खारिज कर दिया। अपने फैसले में, अन्य बातों के अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई थी। अनुशासनात्मक

अभिकर्ता तथा रिजनल मैनेजर बनाम निकुंज बिहारी पटनायक, [1996] 9 एससीसी 69। यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "हमें उल्लेख करना चाहिए कि प्रतिवादी के वकील श्री वी.ए. मोहता ने हमारे सामने निष्पक्ष रूप से कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के तर्क और दृष्टिकोण को कायम रखना उनके लिए संभव नहीं है। उनका एकमात्र निवेदन यह था कि प्रतिवादी की आयु (37 वर्ष) और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह न्यायालय प्रतिवादी को दी गई सजा को कम सजा से प्रतिस्थापित कर सकता है। विद्वान वकील ने सुझाव दिया कि बर्खास्तगी के अलावा कोई भी सजा इस न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। हमने इस अनुरोध पर इस मामले के अनुरूप विचार किया , लेकिन हमें खेद है कि हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। बैंक के विद्वान वकील, श्री वी.आर. रेड्डी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने भी बैंक के निर्देश पर कहा, कि यह संभव नहीं है बैंक प्रतिवादी को उसके आचरण को देखते हुए अपनी सेवा में समायोजित करेगा।"

6. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 5.3.1999 के एक परिपत्र की एक प्रति इस तर्क को उठाने के उद्देश्य से

रखी गई थी कि अपीलीय प्राधिकरण का आदेश विवाद को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होगा, भले ही वह बाद में जारी किया गया हो। सज़ा लगाने का आदेश. उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय हो सकता है कि मामले को विपक्षी अधिकारियों को भेज दिया जाए ताकि विवादित आदेशों को रद्द करते हुए एक उचित आदेश पारित किया जा सके। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला लंबे समय से लंबित है और मुकदमेबाजी लाने के लिए अंत में और आरोपों की गंभीरता और बैंक को हुए वित्तीय नुकसान पर विचार करते हुए, हम सभी सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने के आदेश के साथ बर्खास्तगी के आदेश को प्रतिस्थापित करते हैं जैसा कि जवाबी हलफनामे में बताया गया है।

हालांकि उससे बैंक को हुए नुकसान रूपये 1,14,87,164.76 की कोई वसूली नहीं होगी।

हाईकोर्ट के फैसले से व्यथित दोनों पक्ष हमारे सामने हैं।

7. तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं, वे हैं (i) क्या, बैंक के कर्मचारियों की सेवाओं के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखना, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर

ली है; स्वीकार्य है। और (ii) क्या उच्च न्यायालय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नियुक्ति प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड को अपने दंड से बदल सकता था।

8. निर्विवाद रूप से, संसद ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 अधिनियमित किया। इसकी धारा 19 की उपधारा (2) बैंक के निदेशक मंडल को नियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 12 के साथ पढ़ी गई उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ता - बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ 'पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी' के रूप में जाना जाने वाला नियम बनाया। (पेंशन) विनियम, 1995'।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रमित सक्सेना की दलीलें हैं:

(i) अनुशासनात्मक कार्यवाही और उसके बाद की निरंतरता के रहते हुए अपीलकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है, यानी सेवा से बर्खास्त करना कानूनन गलत है। और

(i) किसी भी स्थिति में, जैसा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से टर्मिनल बकाया के भुगतान हेतु निर्देशित किया है और उक्त आदेश

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में स्पष्ट त्रुटि की है।

10. दूसरी ओर, बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ध्रुव मेहता की दलीलें हैं:

(1) कि 1977 के विनियम 20 (3) (iii) उन संदर्भों में अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देते हैं जहां एक कानूनी कथा बनाई गई है, और इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास बर्खास्तगी का आदेश लगाने के लिए अपेक्षित क्षेत्राधिकार था। और

(ii) कि अपीलकर्ता पेंशन विनियमन के विनियमन 22 के संदर्भ में सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार नहीं है, जो किसी कर्मचारी की पूरी पिछली सेवा को जब्त करने और बाद में पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराने, अन्य बातों के साथ, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का प्रावधान करता है।

(iii). जब किसी प्रावधान या कानून के तहत सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी जाती है, तो दोषी अधिकारी अपने पेंशन लाभ खो देता है क्योंकि वह जब्त हो जाता है, और वह दोहरे खतरे के सिद्धांत से ग्रस्त नहीं होता है, जैसा कि भारत संघ में माना गया है और अन्य. वी. सूबेदार राम नारायण और अन्य, [1998] 8 एससीसी 52

11. यह प्रश्न कि क्या दोषी अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद विभागीय कार्यवाही जारी रह सकती है, मौजूदा नियमों की प्रयोज्यता पर निर्भर करेगा। यह सच हो सकता है कि जब अपराधी अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुका हो तो उसे सेवा से बर्खास्त करने का सवाल आम तौर पर नहीं उठता। हालाकि, चूंकि इस तरह के आदेश के परिणाम सेवा नियम में प्रदान किए गए हैं, हमारी राय में, यह तर्क देना सही नहीं होगा कि इस तरह की सजा देना कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा।

निकुंज बिहारी पटनायक (सुप्रा) इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकारी हैं कि बैंक के किसी अधिकारी को मौजूदा नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निकुंज बिहारी पटनायक (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कहा:-

> "उस मामले में बैंक के मामले में, किसी अन्य संगठन के मामले में - प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अपने अधिकार की सीमा के भीतर कार्य करना होता है। यदि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को उसके अधिकार से परे कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो अनुशासन का उल्लंघन होता है। संगठन/बैंक समाप्त हो जाएगा; बैंक का कामकाज अव्यवस्थित और असहनीय हो जाएगा। बैंक के प्रत्येक

अधिकारी को अपना छोटा साम्राज्य बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें वह एहसान और उदारता फैलाता है। कोई भी संगठन, विशेष रूप से, एक बैंक, यदि इसके अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित मानदंडों और अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। ठीक से काम नहीं कर सकता है ऐसी अनुशासनहीनता को इस विशिष्ट आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है कि यह किसी गुप्त उद्देश्य या बाहरी विचारों से प्रेरित नहीं है। अधिकार से परे कार्य करने का कार्य वह भी पर्याप्त लंबी अवधि में फैला हुआ आचरण का प्रकार है और असंख्य उदाहरणों को शामिल करना अपने आप में एक कदाचार है। यदि अनुमति दी जाए तो उक्त कार्य कुछ मामलों में लाभ ला सकते हैं, लेकिन इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। सार्वजनिक धन से लेन-देन करने वाले बैंकों के कर्मचारियों को ऐसे साहसिक कार्य नहीं दिए जाते। यदि बैरिंग्स बैंक के पतन के कारणों के बारे में हम जो सुनते हैं वह सच है, तो इसके लिए इसके एक कर्मचारी, निक लीसन, जो सिंगापुर में तैनात एक छोटा अधिकारी था, जिसे उसके वरिष्ठों ने अपने अधिकार से परे कार्य करने की अनुमति दी थी, इसका कारण था। जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, एक संगठन और विशेष रूप से एक

बैंक का अनुशासन उसके प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी पर निर्भर करता है जो उनके आवंटित क्षेत्र के भीतर कार्य और संचालन करते हैं। किसी के अधिकार से परे कार्य करना अपने आप में अनुशासन का उल्लंघन और विनियमन 3 का उल्लंघन है। यह विनियमन 24 के अर्थ के भीतर कदाचार का गठन करता है। हालांकि वास्तव में नुकसान का कोई और सबूत आवश्यक नहीं है, इस मामले में ऐसे निष्कर्ष हैं कि प्रतिवादी द्वारा अपने अधिकार से परे दी गई कई अग्रिम और अधिक निकासी अपरिवर्तनीय हो गई हैं। सिर्फ इसलिए कि, इसी तरह के कृत्यों ने कुछ लोगों को भारी मुनाफा कमाया है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने इसकी विशेषता बताई है, वे भी कम दोषी नहीं हैं। उन्हें निर्णय की त्रुटियों के रूप में वर्णित करना गलत है।"

12. इस मामले में भी सेवा से बर्खास्तगी की सजा हुई कायम रखा गया।

हम देख सकते हैं कि यह प्रश्न उतरप्रदेश बनाम भ्रम दत्त शर्मा, एआईआर (1987) एससी 943, जिसमें यह सिविल सेवा विनियम के विनियम 470 की व्याख्या करते हुए यूपी राज्य बनाम वी. हरिहर भोले नाथ, [2006] 11

स्केल 322 विचार के लिए आया था।, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया।

> "नियमन को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर पूरी पेंशन नहीं दी जाती है, बल्कि यह उसे तब दी जाती है जब उसकी संतोषजनक सेवा स्वीकृत हो। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा पूरी हो चुकी है पूरी तरह से संतोषजनक नहीं होने पर पेंशन स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी को पेंशन की राशि में ऐसी कटौती करने का अधिकार है जो वह उचित समझे। विनियमन के अपवादिक प्रावधान में कहा गया है कि पेंशन की राशि में कटौती के संबंध में कोई भी आदेश नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। हालांकि विनियम स्पष्ट रूप से पेंशन में कटौती के आदेश जारी होने से पहले सरकारी कर्मचारी को अवसर देने का प्रावधान नहीं करते हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यह कहते हैं कि सुनवाई का अवसर किसी भी आदेश के पारित होने से पहले सरकार को दिया जाना चाहिए।
>
> फिर भी सरकारी कर्मचारी सुनवाई के अवसर का हकदार है क्योंकि पेंशन में कटौती का आदेश उसके पूर्ण पेंशन प्राप्त

करने के अधिकार को प्रभावित करता है जिस पर अनुच्छेद 311 (2) लागू नही होता है। यह अब विवाद में नहीं है कि पेंशन इनाम नहीं है; इसके बजाय यह राज्य को संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर सेवक को सरकार द्वारा अर्जित संपत्ति का अधिकार है। इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति होगी या नियोक्ता को केवल पेंशन नियमों का सहारा लेना होगा, हमारी राय में, यह किसी क़ानून या वैधानिक नियमों के कारण प्रदत्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्ति के तहत कर्मचारी की सेवाओं के नियमों और शर्तों पर निर्भर करेगा।

हमने यहां पहले देखा है कि बैंक ने वैधानिक प्रकृति के विनियम बनाए हैं उक्त विनियमों का विनियम 20(3) (iii)

इस प्रकार है:-

"20 (3)(iii)। जिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख पर सेवा में नहीं रहेगा, लेकिन कार्यवाही समाप्त होने और अंतिम आदेश जो उसके संबंध में पारित किया गया, आने तक अनुशासनात्मक कार्यवाही उसी तरह जारी रहेगी जैसे कि वह सेवा में था। जब तक उसकी कार्यवाही पूरी न हो

जाये और अंतिम आदेश पारित न हो जाये। उक्त अधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद कोई वेतन और/या भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। संबंधित अधिकारी को स्वयं के योगदान जो सीपीएफ में किया है, को छोड़कर, कार्यवाही पूरी होने और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का भी हकदार नहीं होगा।

उक्त विनियमन में स्पष्ट रूप से अधिकारी के सेवानिवृत्ति की तारीख पर सेवा से बाहर होने के बावजूद अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की परिकल्पना की गई है। उक्त उद्देश्य के लिए एक कानूनी कल्पना रची गई है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कार्यवाही समाप्त होने और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक अपराधी अधिकारी को सेवा में माना जाएगा। उक्त विनियम वैधानिक प्रकृति का होने के कारण इसे पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

13. कानूनी कल्पना का प्रभाव सर्वविदित है। जब किसी क़ानून के तहत कोई कानूनी कल्पना बनाई जाती है, तो उसे अपना पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए, जैसा कि ईस्ट एंड डवेलिंग्स कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल (1951) 2 ऑल ई.आर. 587 में देखा गया है।

"यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित न किया जाए, वास्तविक के रूप में परिणाम और घटनाओ की कल्पना भी करनी चाहिए

यदि मामलों की अनुमानित स्थिति वास्तव में अस्तित्व में थी, तो अनिवार्य रूप से इसके साथ या उसके साथ होनी चाहिए। इस मामले में इनमें से एक 1939 के लगान के स्तर से मुक्ति है। क़ानून कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को भटकने देना चाहिए या इसकी अनुमति देनी चाहिए।"

14. इस प्रकार, मुद्दा अब पूर्णांक नहीं है, जो समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात से स्पष्ट होगा।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम सी.बी. ढल, [1998] 2 एससीसी 544 में, इसे इस प्रकार रखा गया है अभिनार्धारित किया गया है।

"नियम 20-बी के तहत यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखा जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से, कर्मचारी को सेवा में जारी रखा माना जाता है, पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

हरिहर भोले नाथ (सुप्रा) में सिविल सेवा विनियमों के विनियम 351-ए और 470 पर विचार करने पर, भ्रम दत्त शर्मा (सुप्रा) का अनुसरण करते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार राय दी:

> "पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार अलग-अलग स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है। विनियमों के तहत दो अलग-अलग आकस्मिकताओं की स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है, अर्थात, यदि पेंशनभोगी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही में कदाचार का दोषी पाया जाता है। हालांकि, प्रथम दृष्टया, विनियम 351-ए से जुड़े परंतुक में कार्यवाही जारी रखने की परिकल्पना नहीं की गई है, इसे स्पष्ट रूप से पढ़ने पर विद्यमान माना जाना चाहिए। विनियम 351-ए और 470 एक समग्र योजना प्रदान करते हैं; इस बात पर जोर देकर कि पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है स्वचालित है और यदि इसमें निर्धारित शर्तें

पूरी होती हैं तो इसे रोका जा सकता है। निस्संदेह, पेंशन की राशि या उसके एक हिस्से को रोकने का आदेश पारित करने से पहले, क़ानून के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना आवश्यक है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियमों को लागू करने की सीमाओं को फिर से ध्यान में रखना होगा लेकिन उक्त नियम परंतुक और उसके साथ संलग्न स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जाने पर उनकी संपूर्णता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपराधी अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने से पहले शुरू की गई कार्यवाही वैध होगी।"

इस न्यायालय ने शेयर ऑफ यूपी श्री कृष्ण पांडे, एआईआर (1996) एससी 1656, भागीरथी जेम बनाम निदेशक मंडल ओएसईसी और अन्य, [1999] 3 एससीसी 666 में इस निर्णय को निम्नलिखित शर्तों में अलग किया:

हाई कोर्ट ने उतरप्रदेश राज्य बनाम श्री कृष्ण पंडो, एआईआर (1996) एससी 1656 पर मजबूत भरोसा जताया है, जिसमें दोषी अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने के बाद विभागीय जांच शुरू की गई थी। नियम 351-ए पर ध्यान देते हुए सिविल सेवा नियम और विभागीय कार्यवाही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी, इसे कानून में

अस्वीकार्य माना गया था। हालांकि नियम 351-ए के निर्माण पर ऐसे मामले को शामिल करना आवश्यक नहीं था जहां दोषी अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, यह देखा गया कि चूंकि अधिकारी 31 मार्च, 1987 को सेवानिवृत्त हो गया था और उसके खिलाफ 12 अप्रेल 1991 को कार्यवाही शुरू की गई थी तो नियम में संलग्न परन्तुक लागू होगा।

भागीरथी जेन बनाम निदेशक मंडल, ओएसएफसी और अन्य पर भी भरोसा रखा गया है। [1999] 3 एससीसी 660, जिसमें यह न्यायालय उड़ीसा राज्य फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1959",के विनियमन 17 की व्याख्या से चिंतित था

स्टेट ऑफ यूपी और अन्य बनाम आरसी मिश्रा (2007) 4 स्केल 595 में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी प्रकार है।

इसलिए, हमारी राय है कि बैंक के लिए पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20 (3Xiii) के आधार पर या उसके आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखना स्वीकार्य था।

15. यह सच है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सजा देते समय पाया कि अपीलकर्ता के अंतिम बकाया का भुगतान किया जाना था। यह केवल उत्पन्न होने वाली आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक

अवलोकन था। इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्देश जारी नहीं किया गया था और इस प्रकार, अपीलकर्ता के पक्ष में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाया गया था। इसका मतलब यह था कि कानून अपना काम करेगा।

16. हम इस समय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1993 के प्रासंगिक प्रावधानों पर भी ध्यान दे सकते हैं। विनियम 22 विनियम को इस प्रकार है:

> "22 (i)- बैंक की सेवाओं से किसी कर्मचारी का इस्तीफा या बर्खास्तगी या निष्कासन या बर्खास्तगी उसकी पूरी पिछली सेवा को जब्त कर लेगी और परिणामस्वरूप वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।"

निर्विवाद रूप से सेवा से बर्खास्तगी की सजा देने वाले आदेश के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता पेंशन लाभ के लिए योग्य नहीं होगा। हालाँकि, हमारा ध्यान श्री सक्सेना द्वारा विनियम 43 और 48 की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन रोकने के उद्देश्य से भी, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में एक विशिष्ट आदेश पारित करना आवश्यक था। पेंशन विनियमन का तात्पर्य वहां लागू होना है जहां पेंशन का भुगतान करना आवश्यक है। यह कर्मचारी के पेंशन लाभ से बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली का भी प्रावधान करता है।

पेंशन विनियम के विनियम 43 और 48 इस प्रकार हैं:

"43. पेंशन रोकना या वापस लेना। यदि पेंशनभोगी को गंभीर अपराध या आपराधिक उल्लंघन का दोषी ठहराया जाता है तथा विश्वास या धोखाधड़ी से कार्य करने की जालसाजी या गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया है। तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, पेंशन या उसके एक हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक या वापस ले सकता है।

बशर्ते कि जहां पेंशन का एक हिस्सा रोक दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो, ऐसी पेंशन की राशि इन विनियमों के तहत देय न्यूनतम पेंशन प्रति माह से कम नहीं की जाएगी।

"48. बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली (1) सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसके एक हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है या वापस ले सकता है और बैंक को हुई आर्थिक हानि के पूरे या आंशिक हिस्से को पेंशन से वसूलने का आदेश दे सकता है यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी को उसकी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही या आपराधिक विश्वासघात या जालसाजी या धोखाधड़ी से किए गए कार्यों का दोषी पाया जाता है,

बशर्ते कि किसी भी अंतिम आदेश से पहले बोर्ड से परामर्श किया जाएगा

बशर्ते कि विभागीय कार्यवाही, कर्मचारी के सेवा में रहते शुरू की गई हो, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद रही हो।

तो कार्यवाही इन विनियमों के तहत कार्यवाही मानी जाएगी और उस प्राधिकारी द्वारा जारी और समाप्त की जाएगी जिसके द्वारा उन्हें उसी तरीके से शुरू किया गया था जैसे कि कर्मचारी ने सेवा जारी रखी थी;

(2) कोई भी विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान शुरू नहीं की गई थी, ऐसी घटना के संबंध में शुरू नहीं की जाएगी जो ऐसी घटना चार साल से अधिक पहले हुई हो:

बशर्ते कि इस प्रकार शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान उसके संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है तो पेंशन से वसूली सेवानिवृत्ति की तिथि पर स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर से अधिक नहीं की जाएगी

बशर्ते कि जहां पेंशन का एक हिस्सा रोक दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो

किसी पेंशनभोगी द्वारा ली जाने वाली पेंशन की राशि इन विनियमों के अंतर्गत देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी

17. जहां पेंशन रोकने या वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाती है, वहां पेंशन विनियमों के विनियम 43 लागू होंगे। लेकिन उक्त विनियमन के प्रावधानों को अगर पूरी तरह से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक अधिकारी पेंशनरी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा, यदि अन्य बातों के अलावा, उसे सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाता है

विनियम 48 बैंक को पेंशन लाभ से होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई करने का अधिकार देता है। अनुशासन और एफ अपील विनियमों के विनियम 20(3)(iii) को पेंशन विनियमों के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। जहां कर्मचारी पेंशन विकल्पधारी हैं, वहां विनियम 48(1) लागू होगा। किसी भी स्थिति में, यदि किसी अधिकारी को (अनुशासन और अपील) विनियमों के विनियम 4 के तहत सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो बैंक को पेंशन विनियमों के विनियम 48 का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके विनियम 22 लागू होंगे।

इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में स्पष्ट त्रुटि की है।

18. इसके अलावा, अब यह एक घिसा-पिटा कानून है कि आमतौर पर उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

[यू.पी.एस.आर.टी.सी. देखें। वी. राम किशन अरोड़ा। [2007] 6 स्केल 721] उच्च न्यायालय द्वारा यह नहीं पाया गया है कि अपीलकर्ता पर लगाई गई सज़ा कानून में अस्वीकार्य थी या अपराधी अधिकारी द्वारा किए गए कदाचार के लिए पूरी तरह से असंगत थी।

19. हमारा ध्यान एस.पी. बद्रीनाथ बनाम आंध्रप्रदेश सरकार [2003] 8 एससीसी 1 में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। इस निर्णय का इस मामले में कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हमने वर्तमान मामले में देखा है कि अपीलकर्ता के खिलाफ साबित हुए कदाचार के कार्य गंभीर प्रकृति के थे।

20. उच्च न्यायालय ने स्वयं बड़ी संख्या में निर्णयों पर गौर किया है और यह राय बनाई है कि अपराधी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे। दोषी अधिकारी के कृत्य के कारण बैंक को कोई आर्थिक हानि न होने पर भी बड़ी सजा दी जा सकती है। कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में, उच्च न्यायालय की राय रही है।

"याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप, जो जांच में साबित पाए गए, काफी गंभीर प्रकृति के हैं। याचिकाकर्ता ने लापरवाही से ऋण देने में खुद को शामिल कर लिया, जिससे बैंक को 1,14,87,164.76 रुपये की भारी वित्तीय हानि हुई। यह भी यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने बिचौलियों के माध्यम से ऋण वितरित किया था और एक उधारकर्ता से अवैध परितोषण

की मांग की और प्राप्त किया। हमारी सुविचारित राय है कि ऐसे मामलों में, बैंक के अधिकारियों को सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एक बार जब नियोक्ता ने कर्मचारी पर विश्वास खो दिया है और विश्वास की वास्तविक हानि की पुष्टि की जाती है, तो सजा के आदेश को चुनौती से मुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास और विश्वास के कार्यालय का निर्वहन करने के लिए पूर्ण ईमानदारी की आवश्यकता होती है। एक आवश्यक निहितार्थ जो सेवा के अनुबंध में शामिल किया जाना चाहिए वह यह है कि कर्मचारी को अपने स्वामी की सेवा अच्छे विश्वास और निष्ठा के साथ करनी चाहिए। विश्वास खोने की स्थिति में, बहाली का निर्देश नहीं दिया जा सकता। ऐसे कर्मचारी को बहाली की राहत देना "गलत सहानुभूति का कार्य होगा जिसे कानून या इक्विटी में कोई आधार नहीं मिल सकता है।" (एयर इंडिया कॉर्पोरेशन बॉम्बे बनाम वी.ए. रवेलो, एआईआर (1972) एससी 1343; द बिन्नी लिमिटेड बनाम देयर वर्कमेन, एआईआर (1973) एससी 1403; कमल किशोर लक्ष्मण बनाम मेसर्स पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज इंक का प्रबंधन देखें। एवं अन्य, एआईआर (1987) एससी 229, फ्रांसिस कालेन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम देयर वर्कमेन, एआईआर (1971) एससी 2414; क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान एसआरटीसी बनाम सोहन लाल,

[2004] 8 एससीसी 218; और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वी एम. चन्द्रशेखर रेड्डी एवं अन्य, (2005) एआईआर एससीडब्ल्यू 1232)।

कन्हैयालाल अग्रवाल एवं अन्य बनाम फैक्ट्री मैनेजर, ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड, [2001] 9 एससीसी 609, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए विश्वास की हानि के लिए परीक्षण निर्धारित किया कि क्या कर्मचारी में विश्वास की वास्तविक हानि हुई थी, यह देखते हुए कि, (i) कार्यकर्ता विश्वास और आत्मविश्वास की स्थिति रखता है; (ii) ऐसे पद का दुरुपयोग करके, वह ऐसा कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप उसे ज़ब्त करना पड़ता है; और (iii) उसे सेवा/प्रतिष्ठान में जारी रखना नियोक्ता के लिए शर्मनाक और असुविधाजनक होगा, या प्रतिष्ठान के अनुशासन या सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा। प्रबंधन की सोच के आधार पर आत्मविश्वास की हानि व्यक्तिपरक नहीं हो सकती। वस्तुनिष्ठ तथ्य जो कर्मचारी की विश्वसनीयता या विश्वसनीयता के संबंध में प्रबंधन के मन में आशंका का एक निश्चित अनुमान पैदा करेंगे, उन्हें आरोपित और साबित किया जाना चाहिए।

इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक बनाम बेला बागची, एआईआर (2005) एससी 3272 के फैसले पर भी भरोसा किया गया है।

21. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, अपने आप को गलत ठहराया कानून का प्रश्न है कि पंजाब ई नेशनल बैंक अधिकारी

कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के विनियम 20(3)(iii) की प्रयोज्यता के बावजूद, बैंक ने 31.1.1997 के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया जबकि उक्त दिनांक को अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गया।

22. उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए और बैंक द्वारा की गई अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, 2007 की सिविल अपील संख्या 971 को खारिज कर दिया जाता है और 2007 की सिविल अपील संख्या 975 को अनुमति दी जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **रिचा चायल** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***